कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comवेब–साईट jodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांकः F37(2) / नि.आ. / बीपीसी(एलपी) / का.वि. / 2018 / 4248 दिनांकः– 08.06.2018

–:कार्यवाही विवरणः–

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 04 / 2018 वीं बैठक दिनांक 08.06.2018 को प्रातः 10:00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	1	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 36 के रकबा 13.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (योजना) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री मेघराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार खसरा संख्या–36 / 1 के अनुमोदित ले–आउट से 60 फीट उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षैत्र हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षैत्र मे फॉर्म हाउस अनुज्ञेय उपयोग है। 3. समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार आवासीय भू–उपयोग में न्यूनतम 40 फीट पहुच मार्ग की उपलब्धता पर फार्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि में से गुजर रही इलेक्ट्रीक लाईन की क्षमता बाबत जोन की टिप्पणी ली जाकर नियमानुसार सैफ्टीकोरीडॉर रखा जावें। 2. आवेदित भूमि तक उपलब्ध 60 फीट पहुच मार्ग को ले–आउट में आगे निरन्तर करते हुये नियमानुसार सशोधित ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. अनुमोदित भूखण्डों का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डो की टुकडो में रजिस्ट्री न की जावे।
2.	2	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 118 के रकबा 02.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस(एकल) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री अनाराम पुत्र श्री देवाराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार 40 फीट उपलब्ध हो रहा है, आवेदित भूमि उचियारडा से बाईपास को जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है। उक्त राजस्व रास्ते की चौडाई ले–आउट प्लान में 60 फीट प्रस्तावित की गयी है। अतः समिति द्वारा उक्त राजस्व रास्ते का निर्धारण किया जाना है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 के अन्तर्गत परिधि नियंत्रण क्षेत्र में आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में फार्म हाउस अनुज्ञेय है। 3. समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार आवासीय भू–उपयोग में न्यूनतम 40 फीट पहुच मार्ग की उपलब्धता पर फार्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि तक उपलब्ध 40 फीट पहुंच मार्ग की चौडाई 60 फीट रखी जानी होगी, उक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर से की जानी होगी। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है

			और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 5. अनुमोदित भूखण्डों का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डो की टुकडो में रजिस्ट्री न की जावे।
3.	3	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 580/4 वगैरहा के रकबा 07.10.00 बीघा भूमि का रिर्सोट प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री श्याम सुन्दर व अन्य (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन की चैक लिस्ट अनुसार ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। खसरा संख्या 580/5, रकबा 3–14 बीघा, खसरा संख्या 580/8, रकबा 2–06 बीघा, कुल रकबा 6 बीघा भूमि की खातेदारी श्री चन्द्रकान्ता पत्नी श्री श्यामसुन्दर के नाम दर्ज है एवं खसरा संख्या 580/6, रकबा 1–14 बीघा, खसरा सख्या 580/7, रकबा 2–06 बीघा एवं खसरा संख्या 580/4, रकबा 2 बीघा, कुल 6 बीघा भूमि श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री हीरालाल के नाम दर्ज है। दोनों खातेदारों द्वारा कुल रकबा 12 बीघा में से 7–10 बीघा भूमि का संयुक्त आवेदन किया गया है। प्राधिकरण के पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 580/4 में से 16 बिस्वा, 580/5 में से 1–09 बीघा, 580/6 में से 13 बिस्वा, 580/7 में से सम्पूर्ण 2–06 बीघा एवं 580/8 में से सम्पूर्ण 2–06 बीघा भूमि का आवेदन किया गया है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियंत्रण क्षैत्र आरक्षित हैं, मास्टर प्लान के प्रावधानों अनुसार परिधि नियंत्रण क्षैत्र में रिर्सोट अनुज्ञेय उपयोग है तथा मुख्य जयपुर सडक का मार्गाधिकार 200 फिट एवम् सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी हेतु आरक्षित है। 3. जोन की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के 100 फीट सडक भाग में एच.टी.लाईन स्थित है, जिसकी स्थिति का अंकन ले–आउट प्लान पर करवाया जाना तथा एच.टी. लाईन से सुरक्षात्मक दुरी छोडी जानी होगी। 4. समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डीसीआर बनी हुई नही है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर नही होने से प्रकरण को स्थगित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि उक्त भू–उपयोग में अनुज्ञेय उपयोगों हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।**
4.		राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 566/3/1 के रकबा 02.15.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री तुलसीराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन की चैक लिस्ट अनुसार ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रोड भाग पर स्थित खसरे की सीमा पर एच.टी लाईन उपलब्ध है। प्रकरण में राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरकरण की प्रति पेश की गई है, उसके साथ बंटवारा का नजरी नक्शा पेश किया गया है, जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 12 पर संलग्न है। राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 01.07.2010 में राजस्व ग्राम बनाड के सम्बन्ध में राजस्व मानचित्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलग्ध नहीं होने के कारण उत्पन्न समस्या के निराकरण बाबत् पट्टाग्रहिता से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियंत्रण क्षैत्र आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानों अनुसार परिधि नियंत्रण क्षैत्र में रिर्सोट अनुज्ञेय उपयोग है तथा मुख्य जयपुर सडक का मार्गाधिकार 200 फिट एवम् सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी हेतु आरक्षित है। 3. आवेदित भूमि पर भवन विनियम अनुसार सेट बैक का प्रावधान किये जाने के उपरान्त निर्माण योग्य क्षैत्रफल प्राप्त नही होता है, जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 4. समिति को अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डीसीआर बनी हुई नही है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर नही होने से तथा भवन विनियम के प्रावधानों अनुसार सेटबैक उपरान्त निर्माण योग्य क्षैत्रफल उपलब्ध नही होने से प्रकरण को निरस्त किया गया।**

5.		राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 16/2 के रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। आवेदक :- श्री गोकलराम पुत्र श्री बुधाराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधियां अनुज्ञेय है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट पंहुच मार्ग समीप की भूमि खसरा संख्या 16 से प्राप्त हो रहा है, जिसका अनुमोदन होना शेष है। खसरा नं. 16 को 40 फीट पहुंच मार्ग ग्राम डिगाडी के खसरा नं. 133/4 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में 80 फीट रोड से लिंक है। 3. प्रस्तावित ले-आउट प्लान में प्रस्तावित 40 फीट सडक को आगे 30 फीट सडक में विलोपित कर दिया गया है, तथा प्रस्तावित ले-आउट प्लान के भूखण्ड संख्या सी-46 से सी-56 के आगे सडक मात्र 15 फीट है तथा शेष 15 फीट सडक अन्य प्रस्तावित ले-आउट प्लान खसरा संख्या 16 में प्रस्तावित 15 फीट सडक के उपरान्त 30 फीट उपलब्ध होती है। प्रस्तावित ले-आउट प्लान में पार्क 3.67 प्रतिशत रखा गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. ले-आउट प्लान में प्रस्तावित 40 फीट सडक को निरन्तर रखते हुये तथा न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क का प्रावधान करते हुये सशोधित ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6.		राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 16 के रकबा 10.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। आवेदक :- श्रीमती चुकी (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :-" 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधियां अनुज्ञेय है। 2. जोन की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट पंहुच मार्ग ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 133/5 में प्रस्तावित है जो कि आगे खसरा संख्या 133/4 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में 80 फीट रोड से लिंक है। 3. प्रस्तावित ले-आउट प्लान में प्रस्तावित 40 फीट सडक को आगे 30 फीट सडक में विलोपित कर दिया गया है, तथा प्रस्तावित ले-आउट प्लान के भूखण्ड संख्या बी-43 से बी-46 व बी-55 के आगे सडक मात्र 15 फीट है तथा शेष 15 फीट सडक अन्य प्रस्तावित ले-आउट प्लान खसरा संख्या 16/2 में प्रस्तावित सडक उपरान्त 30 फीट होती है। प्रस्तावित ले-आउट प्लान में पार्क 4.25 प्रतिशत रखा गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. ले-आउट प्लान में प्रस्तावित 40 फीट सडक को निरन्तर रखते हुये तथा न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क का प्रावधान करते हुये सशोधित ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
7.	7	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 90, 90/1, 90/2 के रकबा 09.02.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। आवेदक :- श्री नरेन्द्र सिंह सुरेन्द्र सिंह पूनमराम श्रीमती द्रोपदी (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या-86, 90, 91, 98 व 98/2 की 60 फीट सडक से उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि एयरपोर्ट के समीप स्थित है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 अनुसार एयरपोर्ट की 1000 मीटर की परिधी में निर्माण स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना जारी नही की जावें। 3. पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या-86, 90, 91, 98 व 98/2 रकबा-44 बीघा में

			आवेदक श्री पूनमराम पुत्र श्री बुद्वाराम वगैरह द्वारा आवेदन किया गया था तथा प्रकरण में खसरा सख्या 90 90/1 व 90/2 रकबा–09 बीघा 2 बिस्वा हेतु आवेदन किया गया है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – आवेदित भूमि एयरपोर्ट की 1000 मीटर की परिधि मे स्थित होने से राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा–निर्देश पत्रांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट–3 जयपुर दिनांक 14.05.2018 अनुसार ले–आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया तथा गठित समिति के निर्णयानुसार निर्माण स्वीकृती जारी की जावे।
8.		राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 749/1, 749, 749/8 व 749/9 के रकबा 09.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्रीमती कमला पत्नी श्री मांगीलाल एवं श्री घेवरराम मेघवाल पुत्र श्री जसाराम (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले–आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। आवेदक द्वारा पूर्व में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन चाहा है। आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित खसरा सख्या 749/6 व 749/7 से 60 फीट लिंक एप्रोच रोड प्राप्त हो रही है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियन्त्रण व मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षैत्र में आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है। 3. पत्रावली में संलग्न सुपरईपोज ले–आउट में प्रस्तावित ले–आउट की सीमा व सुपरईपोज सीमा में भिन्नता है। जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसका अंकन ले–आउट पर करवाया जाना व उक्त खसरा को ले–आउट में निरन्तर रखा जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित खसरा सख्या 749/6 व 749/7 से 60 फीट लिंक एप्रोच रोड प्राप्त हो रही है, जिसे आगे तक बढाया जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। 2. प्रस्तावित ले–आउट प्लान में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क का प्रावधान किया जावे। 3. प्रकरण में पटवारी द्वारा किये गये ले–आउट सुपरईपोज अनुसार सुपरईपोज से बाहर के क्षैत्र को छोडते हुये सशोधित ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्डों के पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
9.		राजस्व ग्राम सूथला के खसरा संख्या 103, 106 के रकबा 04.17.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री रूखसाना पत्नी फिरोज खान (जोन–पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग मुख्य चौपासनी सडक से प्राप्त हो रहा है, उक्त सडक का मार्गाधिकार जोधुपर मास्टर प्लान 2023 अनुसार 200 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। 2. प्रकरण को पूर्व मे एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 26.09.2017 मे निर्णयार्थ रखा गया, जिसमे आवेदित भूमि पर 10 प्रतिशत से कम निर्माण होने से प्रकरण को निरस्त किया गया था। 3. पत्रावली के पैरा–42 अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मुख्य चौपासनी सडक का मार्गाधिकार 200 फीट व अन्दर की सडक को 30 फीट व पार्क प्रस्तावित कर संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार क्षैत्रफल विशलेषण आवासीय–57.10 प्रतिशत, पार्क–5.01 प्रतिशत व सडक–37.89 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। संशोधित ले–आउट प्लान मे पार्क हेतु प्रस्तावित क्षैत्र को लगभग 10 फीट पहुँच मार्ग ही उपलब्ध हो रहा है 4. पत्रावली अनुसार संशोधित ले–आउट मे आवेदक का स्वामित्व भूखण्ड संख्या–02 का ही है, शेष भूमि अन्य के स्वामित्व की है। अन्य के स्वामित्व की भूमि पर भूखण्ड संख्या–02 के आवेदक द्वारा संशोधित ले–आउट मे पार्क व सडके प्रस्तावित कर दी

			गयी है, ले–आउट मे दर्शित भू–खण्ड संख्या–03, 14, 15, 16 व 17 प्रभावित होते है तथा ले–आउट मे दर्शाये गये भू–खण्ड संख्या–1, 2, 3 व 4 पर भवन विनियम के प्रावधानोनुसार सेट बेक उपरान्त निर्माण योग्य क्षैत्रफल प्राप्त नही होता है। 5. पत्रावली के पैरा–49 पर प्राप्त निर्देशो के कम मे प्रकरण को ले–आउट प्लान समिति मे रखे जाने बाबत एजेण्डा प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत है। 6. जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षैत्र में आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में मुख्य चौपासनी सडक का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी होगी। 2. आवेदित भूमि में स्थित सभी भूखण्डधारियों से सहमति ली जावे तथा सभी भूखण्डधारियों के हस्ताक्षर ले–आउट प्लान पर लिये जाने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। 3. अनुमोदित किये जाने वाले ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्डों के पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
10.		**राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 163 के रकबा 06.06.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।** **आवेदक :– श्री उर्जाराम (जोन–पश्चिम)**	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. जोन की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग खसरा सख्या 250, रकबा 11.04 बीघा गै.मु. आबादी से 30 फीट रास्ता उपलब्ध हो रहा है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज नही है तथा कोई ले–आउट प्लान भी अनुमोदित नही है। 2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षैत्र व मास्टर डवलपमेन्ट 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–2 व आंशिक भाग मिश्रित उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार यू–2 क्षैत्र में न्यूनतम 60 फीट सडक पर फार्म हाउस गतिविधिया अनुज्ञेय है तथा मिश्रित उपयोग की डी0सी0आर बनी हुयी नही है। 3. राज्य सरकार के नवीन दिशा–निर्देशोनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग पर फार्म हाउस एकल भूखण्ड ही अनुज्ञेय है परन्तु प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस योजना प्रस्तावित की गयी है। 4. मास्टर डवलपमेन्ट 2031 (ड्राफ्ट) के प्रस्तावित भू–उपयोग पर आपत्ति प्राप्त है, जो कि पत्रावली के पृष्ठ संख्या–23 पर संलग्न है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक नियमानुसार 60 फीट पहुंच मार्ग प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावे।**
11.		**राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 192/5 के रकबा 05.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।** **आवेदक :– श्री मुकेश चौहान (जोन–पश्चिम)**	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा आवासीय भू–उपयोग में आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है। 2. आवेदित भूमि को आवश्यक न्यूनतम 40 फीट पहुँच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार खसरा सख्या 162/2 में से 1595.55 वर्गगज व खसरा संख्या 188 में से 1488.88 वर्गगज अर्थात कुल 3084.43 वर्गगज भूमि का रास्ता प्रयोजनार्थ स्मर्पणनामा प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित कर पेश किया गया है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई 40 फीट रखी जानी होगी, उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान

			व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
12.		राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 210/1, 211/3 के रकबा 20.19.04 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री प्रिन्स ब्रदर्स प्रा.लि जरिये नरेश कुमार (जोन–पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है, औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में औद्यागिक गतिविधियां अनुज्ञेय है। 2. आवेदित भूमि के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में स्थित सडको का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 160 से 200 फीट व 60 से 80 फीट की श्रेणी में आरक्षित है। उक्त सडको का मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित सडक की चौडाई 160 फीट व पूर्व दिशा में स्थित सडक चौडाई 80 फीट रखी जानी होगी, उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
13.		राजस्व ग्राम नारवां के खसरा संख्या 513 के रकबा 13.03.00 बीघा में से 1228.64 वर्गमीटर भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बबत् । आवेदक :– श्री गोपालसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह (जोन–पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग प्रारूप–7 अनुसार 160 फीट उपलब्ध हो रहा है, आवेदित भूमि जोधपुर से नारवा जाने वाली सडक पर स्थित है। उक्त राजस्व रास्ते की चौडाई ले–आउट प्लान व जोधपुर मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार 160 फीट प्रस्तावित की गयी है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) के अन्तर्गत यू–2 क्षेत्र में आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार यू–2 क्षेत्र में पैट्रोल पम्प अनुज्ञेय है। 3. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में एच.टी. लाईन दर्शाई गई है, उक्त एच.टी लाईन के मध्य बिन्दु से दूरी हेतु प्रमाणित सर्वे प्लान लिया जाना अपेक्षित है। साथ ही एच.टी लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर के उपरान्त भी सडक छोडी जानी है अथवा नहीं बाबत निर्णय समिति द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है। 4. उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा 160 फीट सडक छोडते हुये आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. उपायुक्त द्वारा अवगत कराये अनुसार 160 फीट सडक हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाये जाने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। 2. ले–आउट प्लान पर आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में गुजर रही है एच.टी. लाईन की दूरी बाबत् संबंधित पटवारी से अंकन करवाया जाना होगा। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

			5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
14.		राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 247 के रकबा 22.08.00 बीघा में से 05.00.00 बीघा भूमि का मोटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री मंगलाराम पुत्र श्री तेजाराम (जोन–पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधानों अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में मोटल गतिविधियां अनुज्ञेय है तथा मुख्य बाडमेर सडक का मार्गाधिकार 200 फीट व मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के मध्य एल.टी. लाईन स्थित है जिससे नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी प्रस्तावित है। 3. समिति को अवगत करवाया गया कि ,आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मास्टर प्लान की डीसीआर बनी हुई नही है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 प्रारूप अनुसार मिश्रित भू–उपयोग की डीसीआर नही होने से प्रकरण को स्थगित किया गया तथा उक्त भू–उपयोग में अनुज्ञेय उपयोगों हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।**
15.		राजस्व ग्राम तिवरी के खसरा संख्या 30/7 के रकबा 03.09.00 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग(एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री सुखाराम (जोन–पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट दिनांक 20.03.2015 पैरा संख्या 10 अनुसार उक्त आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अर्बन ऐरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है जो तिवरी से घेवडा जाने वाली रोड पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट चौडा होना बताया गया है। पूर्व में इस मार्गाधिकार पर खसरा सख्या 200/4 का प्रकरण सडक के मध्य से 50 फीट छोडते हुए, अनुमोदित किया गया है। 2. प्रकरण को पूर्व में ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 02.05.2018 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था, समिति द्वारा प्रकरण में जोन की नवीन चैकलिस्ट व नवीन मौका प्राप्त कर तथा आयोजना शाखा पत्रावली में पैरा संख्या 27 व 33/एन पर आयुक्त महो. द्वारा की गयी टिप्पणी के कम में जोन स्तर से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर डवलपमेट प्लान (प्रारूप) डाफट अनुसार ग्रामीण क्षैत्र हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ग्रामीण क्षैत्र मे 40 फीट व उससे अधिक की चौडाई पर अनुज्ञेय किये जा सकते है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक की चौडाई 100 फीट रखी जानी होगी, उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी होगी। साथ ही मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की सीमा की दूरी बाबत् जोन से टिप्पणी ली जानी होगी। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. अनुमोदित भूखण्डों का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को

			सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डो की टुकडो में रजिस्ट्री न की जावे।
16.		राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 776/4 के रकबा 00.10.00 बीघा भूमि का आवासीय(एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री भूदेव देवडा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश देवडा (जोन-पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 के अनुसार आवेदित भूमि 160' फीट है परन्तु आयोजना शाखा की पैरा एन/07 की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2017 के द्वारा मास्टर प्लान 2023 के अन्तर्गत मार्गाधिकार 200' रखा गया है। उसी अनुरूप अनुमोदन किया जाना है। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान अनुसार आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है, मास्टर प्लान के प्रावधनोसुसार सडक के सहारे-सहारे दर्शित व्यवासयिक क्षेत्र में सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट की गहराई अथवा एकल भूखण्ड की गहराई जो भी कम हो तक व्यवसायिक गतिविध्यिा अनुज्ञेय होगे। ओवदित भूमि की गहराई सडक मार्गाधिकार उपरान्त 87 फीट प्राप्त होती है, उपरोक्तानुसार निर्णय समिति द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। 3. पत्रावली में संलग्न प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि पर कमरे कमशः 15 फीट बाई 17 फीट व 9.5 फीट बाई 11.5 फीट के निर्मित है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -- 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक की चौडाई मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट रखी जानी होगी, उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी होगी। 2. आवेदित भूमि के सामने दो इलेक्ट्रिक लाईन गुजर रही है। जिनकी क्षमता हेतु टिप्पणी जोन से ली जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी होगी। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
17.		रजस्व ग्राम नांरवा खिचिया के खसरा संख्या 505 के रकबा 06.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री राणाराम पुत्र श्री देवाराम व अन्य (जोन-पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार ग्रामीण क्षैत्र तथा जोधपुर मास्टर प्लान-2031 प्रारूप अनुसार यू-2 क्षैत्र में स्थित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार यू-2 क्षैत्र मुें न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग की उपलब्धता पर फार्म हाउस अनुज्ञेय है। 2. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुंच मार्ग हेतु 30 फीट रास्ता पडौस के खातेदारी के खसरों में से वर्तमान में उपलब्ध है। अतः नियमानुसार 60 फीट मार्ग आवश्यक है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक आवश्यक पहुंच मार्ग 60 फीट उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण निरस्त किया गया।

18.		राजस्व ग्राम कैरू के खसरा संख्या 1212/2 के रकबा 03.11.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री गोकुल कन्नोजिया (जोन–पश्चिम)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार यू–3 हेतु आरक्षित है, मास्टर प्लान कि डि.सी.आर अनुसार यू–3 जोन में अवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है तथा मुख्य जैसलमेर सडक मार्गाधिकार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी हेतु आरक्षित है। 2. आवेदित भूमि में से इलैक्ट्रिक लाईन गुंजर रही है उक्त इलैक्ट्रिक लाईन से नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि कुल क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने से नियमानुसार सुविधाक्षैत्र हेतु शुल्क लिया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक की चौडाई 200 फीट रखी जावें तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावे। उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी। 2. आवेदित भूमि में से इलैक्टीक लाईन गुजर रही है उक्त इलैक्ट्रीक लाईन की क्षमता जोन से ली जावे तथा नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी छोडी जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखग्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
19.		राजस्व ग्राम मणाई के खसरा संख्या 133/2 के रकबा 16.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री हीराराम पुत्र श्री धूडाराम व अन्य (जोन–उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पटटा हेतु आवेदन किया गया है। जोन–तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि मे मौके पर नलकूप व विद्युत कनेक्शन चालू है एवं एल.टी लाईन स्थित है। 2. प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि कटाणी मार्ग पर स्थित है। 3. मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में दर्शाये कटाणी मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैं। 4. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 से बाहर तथा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है एवं इसमें फॉर्म हाउस अनुज्ञेय है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग हेतु कटाण मार्ग की चौडाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं

			मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डो की टुकडो में रजिस्ट्री न को जावे।
20.		राजस्व ग्राम मणाई के खसरा संख्या 136/4 के रकबा 14.00.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री हीराराम पुत्र श्री धूडाराम (जोन-उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पटटा हेतु आवेदन किया गया है। जोन-तहसीलदार/पटवारी की रिपोटं के अनुसार आवेदित भूमि मे मौके पर नलकूप व विद्युत कनेक्शन चालू है एवं एल.टी ल्ईन स्थित है। 2. प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि कटाणी रास्ते पर स्थित है। आवेदित भूमि पर एक छोटा मशीनघर का कमरा बना हुआ है। तथा दो तरफ दिवार है। 3. मानचित्र में दर्शाये अनुसार आवेदित भूमि उत्तर व पूर्व दिशा में दर्शाये कटाणी मार्ग के मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 4. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 से बाहर तथा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है एवं इसमें फॉर्म हाउस अनुज्ञेय है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग हेतु कटाण मार्ग की चौडाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 6. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डो की टुकडो में रजिस्ट्री न की जावे।
21.		राजस्व ग्राम घडाव के खसरा संख्या 81/2 के रकबा 01.00.00 बीघा भूमि का संस्थागत प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री हरे कृष्णा मुवमेट जरिये अध्यक्ष रत्नागंद (जोन-उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा एकल पटटे हेतु आवेदन किया है। जोन तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि सरकारी कटाण मार्ग पर स्थित है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार नॉलेज सिटी में स्थित है। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 प्रारूप की रिपोर्ट में नोलेज सिटी का पृथक से उल्लेख नही है। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 प्रारूप की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6.4 नोलेज सिटी एव हेल्प केयर सिटी अनुसार जोधपुर रीजन से विगत वर्षो में कई उच्च शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सालयों की स्थापना हुई है एवं भविष्य में और कई संस्थानों के स्थापना होने एवम उनसे सम्बधित अन्य शिक्षण संस्थान, इन्टरमिडियेट, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेन्टर, प्रोफेसनल कालेज, आई.टी, से सम्बधित संस्थान तकनीकी संस्थान, मेडिकल संस्थान, मेडिकल से संम्बन्धित अन्य चिकित्सालय, नर्सिग होम, इत्यादि को भविष्य में इस क्षैत्र में विकसित किया जा जावेगा। उक्त क्षैत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जावेगा तथा इस क्षैत्र में विभिन्न संस्थानों हेतु सुविधा क्षैत्र स्टाफ हेतु आवास सुविधा छात्रावास रेस्टोरेन्ट आमेद-प्रमोद इत्यादि स्थलो का विकास किया जा सकेगा। चूकी उक्त क्षैत्र की डी.सी.आर तैयार नही है अतः अनुज्ञेय उपयोग के समवन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 3. मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में आई.आई.टी व आवेदित भूमि के मध्य दर्शाये कटाणी मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैं।

			समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श कर आवेदित भूमि नॉलेज सिटी में होने के कारण आवेदक द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आवेदन किये जाने की शर्त के अध्यधीन निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन शैक्षणिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
22.		राजस्व ग्राम बासनी करवड के खसरा संख्या 103/1 के रकबा 02.19.12 बीघा भूमि का कृषि आधारित प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्रीमती कमला पत्नी श्री कुन्दनमल गांधी (जोन–उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. प्रकरण पूर्व में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एलपी) की बैठक दिनांक 07.02.2018 में रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– "समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:– 1. एजेण्डा संख्या 01 के अनुसार कृषि आधारित उद्योग (एकल भूखण्ड) हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर अनुमोदित किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा 3237.48 वर्गमीटर का आवेदन किया गया है। अतः इस बाबत् प्रार्थी को सुचित किया जावे। 2. प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 110' विद्यमान सडक दर्शायी गई है जिसका मार्गाधिकार 120' किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. आवेदक द्वारा कुल रकबा 06.02 बीघा में से 02 बीघा का आवेदन किया है। अतः शेष भूमि हेतु स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे। 4. आवेदित भूमि के दक्षिण में नाला दर्शाया गया है। अतः सिंचाई विभाग से अनापति प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे तथा भविष्य में तदानुसार नाले से सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।" 2. उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रार्थीनी द्वारा पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 2 बीघा के स्थान पर 3 बीघा का पट्टा चाहा गया। (प्रस्तुत प्रार्थना व सुपरईम्पोज मानचित्र पत्रावली के पृष्ठ संख्या 68 से 71 पर संलग्न है) 3. उपरोक्त सुपरईम्पोज मानचित्र में कुल रकबा 6.02.00 बीघा में से 02.19.12 बीघा का सुपरईम्पोज किया गया है। 4. भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एलपी) की बैठक दिनांक 07.02.2018 के निर्णय के बिन्दु संख्या 01 व 02 के क्रम में प्रार्थीनी द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया, बिन्दु संख्या 03 के क्रम में शेष भूमि की स्थिति स्पष्ट किया जाना शेष है तथा बिन्दु संख्या 04(सिंचाई विभाग की अनापत्ति) की सूचना पत्रावली में संलग्न नही है। 5. खसरा मानचित्र(पृष्ठ संख्या 17) अनुसार खसरा संख्या 103/1 के पश्चिम दिशा में कटाण मार्ग दर्शाया गया है, जिसकी स्थिति स्पष्ट किया जाकर उक्त मार्ग का मार्गाधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। 6. पत्रावली में जोन चैकलिस्ट पूर्व आवेदित क्षेत्रफल अनुसार ही है, जबकि आवेदक द्वारा वर्तमान में 2 बीघा के स्थान पर 3 बीघा का आवेदन किया है, परन्तु सुपरईम्पोज मानचित्र में 2.19.12 बीघा है। 7. प्रकरण परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है। पूर्व में बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 02.05.2018 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– 1. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार भू–उपयोग की जाँच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

			2. आवेदक द्वारा कुल रकबा 06.02 बीघा में से 02.19.12 बीघा का आवेदन किया है। अतः शेष भूमि हेतु स्थिति स्पष्ट किऐ जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे। 3. आवेदित भूमि के दक्षिण में नाला दर्शाया गया है। अतः सिंचाई विभाग से अनापति प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे तथा भविष्य में तदानुसार नाले से सुरक्षात्मक दूरी छोडी जा सके।
23.		**राजस्व ग्राम रामपुरा भाटीयान के खसरा संख्या 246/12, 246/28 के रकबा 28.07.03 बीघा भूमि का कृषि आधारित (योजना) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।** **आवेदक :– श्री दाउलाल पुत्र श्री गंगाविशन (जोन–उत्तर)**	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ योजना हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि 60 फीट कटाण रास्ते पर स्थित है। जोन तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 11000 की सर्विस लाईन निकलती है। जिसे स्वंय के खर्चे पर हटाने हेतु प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है एवं खसरा नं. 246/28, 246/12 कुल रकबा 38.19 बीघा से रेलवे लाईन से 36 फीट दूरी पर स्थित है परन्तु आवेदित भूमि रेलवे लाईन से 150 फीट दूरी पर है। 2. आवेदित भूमि रेल्वे सीमा से 100 फीट (30 मीटर) की दूरी पर स्थित है अथवा नहीं बाबत् स्पष्ट टिप्पणी अपेक्षित है। 3. आवेदित भूमि के दक्षिण व पूर्व दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 4. नियोजन की दृष्टि से दो भिन्न उपयोगो के मध्य 10 फीट का पार्थ–वे दिया जाना प्रस्तावित है। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत EWS/LIG दिया आवश्यक है इस हेतु मानचित्र में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनक 26.02.2013 अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क व 10 प्रतिशत सुविधा रखी जानी है। आवेदक द्वारा पार्क 5 प्रतिशत से कम दर्शाया है। इस हेतु मानचित्र में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। 7. 100 मीटर से अधिक लम्बाई हेतु न्यूनतन 12 मीटर सडक आवश्यक है। इस हेतु मानचित्र में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। 8. प्रस्तुत मानचित्र में सडक के सहारे वाणिज्यिक दुकाने दर्शायी गई है। चूँकि सडक की चौडाई का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना है। अतः सडक की चौडाई के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित सैट बैक अनुसार मानचित्र में संशोधन अपेक्षित है। 9. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 से बाहर तथा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है एवं इसमें कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञेय है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुये ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित पहुंच मार्ग की चौडाई 100 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. आवेदित भूमि रेलवे सीमा से 100 फीट (30 मीटर) दूरी पर स्थित है, बाबत् टिप्पणी जोन से ली जावें, तथा पट्टा जारी करने से पूर्व मौके से इलेक्ट्रिक लाईन हटाई गई है इसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावे। 3. नियोजन की दृष्टि से दो भिन्न उपयोगो के मध्य 10 फीट का पार्थ–वे दिया जावे। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत एक स्थान पर दिया जाना आवश्यक है इस हेतु मानचित्र में संशोधन किया जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क व 10 प्रतिशत सुविधा रखी जानी आवश्यक है। इस हेतु मानचित्र में संशोधन किया जावे। 6. 100 मीटर से अधिक लम्बाई हेतु न्यूनतम 12 मीटर सडक आवश्यक है। इस हेतु मानचित्र में संशोधन किया जावे। 7. प्रस्तुत मानचित्र में सडक के सहारे वाणिज्यिक दुकाने दर्शायी गई है। चूँकि सडक की चौडाई समिति द्वारा 100 फीट निर्धारित की गई है। अतः सडक एवं सेटबेट के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जावे। 8. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान

			व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 / कृषि आधारित उद्योग हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन कृषि आधरित उद्योग योजना में एकल भूखण्डों का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 12. कृषि आधरित उद्योग योजना में अनुमोदित एकल भूखण्डों का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डो की टुकडो में रजिस्ट्री न की जावे।
24.		राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 579 के रकबा 04.08.00 बीघा भूमि का मोटल (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री डुगरराम पुत्र श्री सगराराम (जोन–उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा मोटल प्रयोजनार्थ एकल पटटा हेतु ओवदन किया गया है। राजस्व तहसीलदार जोधपुर के अनुसार आवेदित भूमि मिसाईल रेजीमेंट से 546 मीटर दूरी पर स्थित है तथा मौके पर सुनियोजित मशीनरी से पत्थर कटाई का कार्य औद्योगिक उपयोग उपयोग में चल रहा है। श्रीमान सचिव महोदय के पत्रांक 826–827 दिनांक 12.02.2016 को प्रार्थी को रक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार 900 मीटर परिधि में आयुक्त महो. को प्रेषित की जा चूकी है। 2. तहसीलदार उत्तर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की फर्द मौका प्रति संलग्न अनुसार दिनांक 20.03.2018 को श्रीमान जिला कलक्टर महो. जोधपुर के रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक कार्यवाही दिनांक 14.04.2018 में प्राप्त निर्देशानुसार व आदेश कमांक प.123(3)राज / बेठक(3 / 18)2018 / 926 दिनांक 14.03.2018 की पालना मे नागतालाब आर्मी डिपो में रक्षा भूमियां जो वर्क्स ऑफ डिफेन्स एक्ट द्वारा प्रतिबंधित भूमि है एवं वक्त निरीक्षण मौके पर पत्थर कटाई का कार्य करना पाया गया है एवं उक्त भूमि कृषि भूमि है जिसका उपयोग व्यावसायिक / औद्योगिक उपयोग में ली जा रही है तथा रक्षा विभाग के प्रतिनिधी द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूमि एवम् कटर वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट द्वारा प्रतिबंधित भूमि क्षेत्र 900 मीटर की परिधि में स्थित है। इस संबंध में तहसीलदार जोन उत्तर द्वारा प्रार्थी को दिनांक 30.04.2018 को नोटिस जारी किया जा चुका है जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है। 3. इस संबंध में श्रीमान् सचिव महो. के पत्रांक एफ.49 / 90–क / उत्तर / 2017 / 858 दिनांक 02.11.2017 द्वारा श्रीमान रक्षा सम्पदा अधिकारी, जोधपुर को रक्षा संस्थपनाओं / स्थापनाओं की बाहरी सीमा से कितनी दूरी के पश्चात् नियमन / पटटा / निर्माण स्वीकृति तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी दूरी के पश्चात् अनुज्ञेयता है, के संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका है जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ है एवं जो प्रकरण में अनिवार्यतः अपेक्षित है। 4. प्रकरण परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है। पूर्व में बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 02.05.2018 में राज्य सरकार के निर्देशानुसांर मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार रिपोर्ट पत्रावली के बिन्दू संख्या 56 पर अंकित है जिसके अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ व ROW (सडक) दर्शाया गया है। आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर नागौर रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार 200 फीट रखा गया है। मास्टर प्लान 2023 अनुसार उक्त लोकेशन पर रोड ROW पश्चात 100–100 फीट का प्लान्टेशन बेल्ट रखा जाना है। मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) लैण्ड यूज प्लान अनुसार उक्त लोकेशन में प्लान्टेशन बेल्ट नही दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति सुझाव विश्लेषण मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) के डीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग में मोटल अनुज्ञेय नहीं है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित कारणों से प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया :– 1. श्रीमान् सचिव महो. द्वारा श्रीमान रक्षा सम्पदा अधिकारी, जोधपुर को रक्षा संस्थपनाओं / स्थापनाओं की बाहरी सीमा से कितनी दूरी के पश्चात् नियमन / पटटा / निर्माण स्वीकृति तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी दूरी के पश्चात् अनुज्ञेयता है, के संबंध में पत्रांक एफ.49 / 90–क / उत्तर / 2017 / 858 दिनांक 02.11.

			2017 जारी किया जा चुका है जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ है। 2. मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) के डीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग में मोटल अनुज्ञेय नहीं है।
25.		राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 15 के रकबा 02.10.05 बीघा भूमि का व्यवसायिक/आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री कुशाग्र शर्मा पुत्र श्री बिहारीलाल व अन्य (जोन– दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार मुख्य झालामण्ड चौराहे से शताब्दी सर्कल रोड पर स्थित है। मौके पर 2 कमरे मय गार्डन बना हुआ है। तहसीलदार दक्षिण की रिपोर्ट अनुसार सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी 75 फीट है। तरमीमशुदा नक्शा एवं बंटवारडा उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के पैरा एन/8 पर तहसीलदार दक्षिण द्वारा की गई रिपोर्ट अनुसार साभी भूखण्डधारी एवं खातेदार मौके पर काबिज है किन्तु जमाबंदी में खातेदारों व भूखण्डधारी की संख्या अधिक होने एवं उनके निवास स्थान अलग होने के कारण नक्शे में तरमीम करने में तकनीकि वजह से असमर्थता व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार दक्षिण द्वारा भौतिक कब्जे एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। 2. मास्टर प्लान 2023 अनुसार उन सभी प्रमुख उप प्रमुख एवं प्रस्तावित बाई–पास के जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट से कम नहीं है, उनसे लगती हुई भूमियों पर थोक व्यापार एवं वाणिज्यिक व्यवसाय हेतु व्यावसायिक केन्द्र तथा खुदरा व्यावसाय हेतु सुविधाजनक दुकानों के लिए महायोजना स्थल प्रस्तावित किये गये हैं तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इन सडकों के सहारे 100 फीट की गहराई तक अथवा एकल सम्पति की गहराई तक जो भी कम हो इस तरह के भू–उपयोग अनुज्ञेय होंगे। 3. दिनांक 18.10.17 को नगरीय विकास विभाग द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की अधिसूचना जारी की गई जिसके बिन्दु संख्या 21.4 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/ डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसी प्रावधान में भिन्नता/विरोधाभाष की स्थिति में स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होगें। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार " प्रार्थीगण उक्त खसरा सख्या 15 में ले–आउट प्लान जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में दर्शित भू–उपयोग अनुसार मुख्य सडक पर 100 फीट गहराई तक व्यावसायिक उसके पश्चात् सम्पूर्ण आवासीय भू–उपयोग दर्शित है। इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त भूखण्ड का ले–आउट मिश्रित भू–उपयोग अनुसार पारित करवाना चाहते है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोड़ा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. समिति द्वारा आवेदित भूमि के सडक उपरान्त मास्टर प्लान 2023 अनुसार अग्र भाग पर 100 फीट गहराई तक व्यवसायिक एवं शेष आवासीय रखते हुये अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 6 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले–आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।

25.		राजस्व ग्राम सागंरिया के खसरा संख्या 86/3 के रकबा 00.13.15 बीघा भूमि का व्यवसायिक/आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री मदनलाल (जोन-दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार भूमि मुख्य सालावास रोड पर स्थित है। सडक एवं आवेदित भूमि के मध्य एक 132 के.वी एच.टी लाईन स्थित है। प्रस्तावित भूमि से लगते हुये भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालित है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार 132 के.वी लाईन स्थित जोन चैक लिस्ट पर अंकित है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 24 पर संलग्न है। 2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 132 के.वी एच.टी लाईन हेतु 27 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू आवश्यक है। प्रकरण में सेफटी कोरीडोर उपरान्त 40 फीट सडक छोडी जानी है अथवा नही उक्त के सम्बध में समिति द्वारा निर्णय किया जाना प्रस्तावित है। 3. मास्टर प्लान 2023 अनुसार उन सभी प्रमुख उप प्रमुख एवं प्रस्तावित बाई-पास के जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट से कम नहीं है, उनसे लगती हुई भूमियों पर थोक व्यापार एवं वाणिज्यिक व्यवसाय हेतु व्यावसायिक केन्द्र तथा खुदरा व्यावसाय हेतु सुविधाजनक दुकानों के लिए महायोजना स्थल प्रस्तावित किये गये हैं तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इन सडकों के सहारे 100 फीट की गहराई तक अथवा एकल सम्पति की गहराई तक जो भी कम हो इस तरह के भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे। 4. दिनांक 18.10.17 को नगरीय विकास विभाग द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की अधिसूचना जारी की गई जिसके बिन्दु संख्या 21.4 कें अनुसार नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/ डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसी प्रावधान में भिन्नता/विरोधाभाष की स्थिति में स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन / जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होगें। 5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार "उक्त नवीन भवन विनियम के अनुसार जो प्रकरण पूर्व के भवन विनियम के अनुसार आवेदित है उन प्रकरणों में पूर्व भवन विनियम के अनुसार कार्यवाही कि जा सकती है, का उल्लेख किया है " समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. समिति द्वारा आवेदित भूमि के सडक एवं आवेदित भूमि के सामने स्थित एच.टी. लाईन के नीचे नियमानुसार 27 मीटर R.O.W. छोडा जाकर शेष भूमि का मास्टर प्लान 2023 अनुसार अग्र भाग पर 100 फीट गहराई तक व्यवसायिक एवं शेष आवासीय रखते हुये अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।

27.		राजस्व ग्राम सागंरिया के खसरा संख्या 86/3 के रकबा 00.13.15 बीघा भूमि का व्यवसायिक/आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री मदनलाल पुत्र श्री नारायणराम (जोन-दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार भूमि मुख्य सालावास रोड पर स्थित है। सडक एवं आवेदित भूमि के मध्य एक 132 के.वी एच.टी लाईन स्थित है। प्रस्तावित भूमि से लगते हुये भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालित है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार 132 के.वी लाईन स्थित निम्नानुसार है। 2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 132 के.वी एच.टी लाईन हेतु 27 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू आवश्यक है। प्रकरण में सेफटी कोरीडोर उपरान्त 40 फीट सडक छोडी जानी है अथवा नही उक्त के सम्बध में समिति द्वारा निर्णय किया जाना प्रस्तावित है। 3. मास्टर प्लान 2023 अनुसार उन सभी प्रमुख उप प्रमुख एवं प्रस्तावित बाई-पास के जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट से कम नहीं है, उनसे लगती हुई भूमियों पर थोक व्यापार एवं वाणिज्यिक व्यवसाय हेतु व्यावसायिक केन्द्र तथा खुदरा व्यावसाय हेतु सुविधाजनक दुकानों के लिए महायोजना स्थल प्रस्तावित किये गये हैं तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इन सडकों के सहारे 100 फीट की गहराई तक अथवा एकल सम्पति की गहराई तक जो भी कम हो इस तरह के भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे। 4. दिनांक 18.10.17 को नगरीय विकास विभाग द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की अधिसूचना जारी की गई जिसके बिन्दु संख्या 21.4 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/ डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसी प्रावधान में भिन्नता/विरोधाभाष की स्थिति में स्वीकृत मास्टर प्लान/मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन / जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होगें। 5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार "उक्त नवीन भवन विनियम के अनुसार जो प्रकरण पूर्व के भवन विनियम के अनुसार आवेदित है उन प्रकरणों में पूर्व भवन विनियम के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, का उल्लेख किया है " समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया - 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. समिति द्वारा आवेदित भूमि के सडक एवं आवेदित भूमि के सामने स्थित एच.टी. लाईन के नीचे नियमानुसार 27 मीटर R.O.W. छोडा जाकर शेष भूमि का मास्टर प्लान 2023 अनुसार अग्र भाग पर 100 फीट गहराई तक व्यवसायिक एवं शेष आवासीय रखते हुये अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।

28.		राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 342/5 के रकबा 00.03.10 बीघा भूमि का औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री ढगलाराम पुत्र श्री शंकरराम (जोन–दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार भूमि मुख्य जोधपुर पाली रोड 150 फीट के मार्गाधिकार पर स्थित है। तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार बाउण्ड्री वॉल निर्मित है। जिसे 200 फीट चौडा किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारर्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। 2. मास्टर प्लान 2023 से अनुसार औद्योगिक में स्थित है एवं इसमें औद्योगिक अनुज्ञेय है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
29.		राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 342/4 के रकबा 00.08.00 बीघा भूमि का औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री हीराराम पुत्र श्री पुरखाराम (जोन–दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार भूमि मुख्य जोधपुर पाली रोड 150 फीट के मार्गाधिकार पर स्थित है। तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार एक रहवासीय कमरा मय बाथरूम निर्मित है। जिसे 200 फीट चौडा किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारर्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। 2. आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2023 से अनुसार औद्योगिक में स्थित है एवं इसमें औद्योगिक अनुज्ञेय है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन

			औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
30.		राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 132 के रकबा 03.14.00 बीघा भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधान संख्या 3 ए) (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :– श्री नमो रियलमार्ट प्रा.लि जरिये डायरेक्टस श्री दीपक मेहता (जोन–दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :– 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि जो.वि.प्रा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मौके पर स्वीकृत ले–आउट प्लान में से 30 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है उक्त संदर्भित भूमि के खसरा संख्या 126 व 132 के कॉलोनी का स्वः प्रेरणा से आदेश दिनांक 31.01.13 होकर आवेदित भूमि पूर्व में ही जरिये नामान्तरकरण संख्या 5420 दिनांक 24.07.2014 को जो.वि.प्रा. के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त भूमि की 90 बी पूर्व में की जा चुकी है, परन्तु उक्त सन्दर्भित भूमि का ले–आउट स्वीकृत नहीं है। तहसीलदार एवं पटवारी रिपोर्ट पैरा संख्या एन/3 से 17 अनुसार खसरा संख्या 132 का रकबा 3.14 बीघा 90 बो होकर तत्कालीन न्यास/प्राधिकरण के नाम नामान्तरण हो चुका है। उक्त भूमि का 90 बी पश्चात न्यास/प्राधिकरण द्वारा ले–आउट स्वीकृत नहीं है। उक्त क्षेत्र पूर्व में पारित ले–आउट से बाहर स्थित है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक भूमि खातेदारी की है सरकारी/अधिशेष भूमि नहीं है। वक्त ले–आउट अनुमोदन उक्त भूमि मौके स्थिति अनुसार ले–आउट प्लान में शामिल नहीं है। उक्त भूमि पार्क/ओ.सी.एफ. की भूमि नहीं है क्योकि यह भूमि स्वीकृत ले–आउट का भाग ही नहीं है। भूमि के मौके पर प्रार्थी द्वारा मैसर्स नमो रियल मार्ट प्रा.लि. के नाम बोर्ड लगवाये गये है। जिसकी फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न है (पताका अ) प्रार्थी द्वारा मौके पर बोर्ड लगाने के पश्चात एक माह समयावधि में किसी भी प्रकार की कोई आपति/उजर एजराज प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है। 2. प्रारूप–7 अनुसार आवेदित भूमि पूर्व नें ही जरिये नामान्तकरण संख्या 5420 दिनांक 24.07.2014 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हो चुकी है। मौके पर पहुंच मार्ग 30 फीट है, जो पूर्व में विकसित कॉलोनियों में से प्राप्त होता है। उक्त भूमि की 90 बी पूर्व में की जा चुकी है परन्तु उक्त भूमि का ले–आउट प्लान स्वीकृत नहीं है। 3. आवेदक द्वारा आवासीय मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत आवेदन किया है जो कि 30 फीट पर अनुज्ञेय है। 4. मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.10.2017 अनुसार प्लान्टेशन बेल्ट, इकॉलोजिकल जोन, इकोसेन्सेटिव जोन तथा रिक्रियेशन जोन को छोडकर अन्य भू–उपयोगो में मुख्यमंत्री जन आवास योजना को अनुज्ञेय उपयोग की श्रेणी में माना गया है। समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया – 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 30 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 15 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जावे अथवा सामुदायिक सुविधाए हेतु कुल बीएआर का 1 प्रतिशत के समतुल्य का प्रावधान किया जावें। 3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. अनुमोदित किये जा रहे ले–आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले–आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017/मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत गठित प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति से प्रोजेक्ट अनुमोदित करवाना होगा। 8. उक्त ले–आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए

			जाने पर पुन समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा।
31.		राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/7 के रकबा 05.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- श्री गोरधनराम पुत्र श्री बोदाराम वगैरहा (जोन-दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग पटवारी एवं तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उतरी दिशा में 30 फीट मौके पर उपलब्ध गैर अनुमोदित योजना में से प्राप्त हो रहा है तथा दक्षिणी-पूर्वी दिशा में कदमी रास्ता उपलब्ध है, जिसकी राजस्व मानचित्र में स्थिति स्पष्ट की जानी है। मौके पर कुछ भाग में सीमेंट की ईटो का व्यवसाय संचालित पाया गया। 2. प्रकरण में भू-उपयोग पर आपत्ति संख्या 215 व 285 दर्ज है जो एक तरह का सुझाव है व आवेदित भूमि को 1500 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण न्यूनतम 24 मीटर(80 फीट) सडक आवश्यक है, जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र (पृष्ठ संख्या 25) अनुसार 60 फीट दर्शायी है। उक्त रास्ता जोन चैकलिस्ट अनुसार गैर अनुमोदित योजना से प्राप्त हो रहा है। 3. मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है तथा मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है, जिसमें औद्योगिक अनुज्ञेय है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श करते हुये उपायुक्त द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की सुनिश्चितता किये जाने पर निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -** 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के पहुंच मार्ग की चौडाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट छोडा जावे। इस हेतु सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व सडक के मध्य बिन्दु से 40 फीट दूरी तक कब्जा हटाया जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. उक्त खसरे पर भू-उपयोग सम्बधित प्राप्त आपत्ति को एक सामान्य सुझाव माना जावें। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होगें एवं उक्त अनुमोदन औद्योगिक एकल भूखण्ड का किया गया है, भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
32.		राजस्व ग्राम मोगडा कल्लां के खसरा संख्या 295 के रकबा 342032.37 वर्ग मीटर (34.20 हैक्टेयर) भूमि का संस्थागत योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् । आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर (जोन-दक्षिण)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. उक्त भूमि राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति कि 16वीं बैठक दिनांक 06.04.2011 की कार्यवाही विवरण अनुसार बहुउदेश्य प्रयोजनार्थ किया गया है। 2. उक्त योजना में आई.ओ.सी.एल/एच.पी.सी.एल की पाईप लाईन व एच.टी लाईन हेतु सेफटीकोरीडोर के चिन्हिकरण के उपरान्त योजना में आवश्यक सशोधन पश्चात योजना को अन्तिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है। 3. उक्त योजना में जोधपुर मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) अनुसार प्रस्तावित पाली सर्किल का भाग स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.8.10 चौराहों/जंक्शनों का विकास अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान में विभिन्न प्रमुख शहरों से जोधपुर में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित बाह्यमार्ग को क्रॉस करते है और जहां पर जंक्शन/चौराहें बनते है वहां पर सर्किलों को विकास एवं सौंदर्यकरण किया जाना प्रस्तावित है उक्त सर्किलों का विकास एवं निर्माण/डिजाईन सड़क के गंतव्य स्थल के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वर्तमान स्वरूप की विशेषताओं को दर्शाते हुए किया जाना प्रस्तावित है

			4. जोधपुर मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) रिपोर्ट में उक्त सर्किल के नाप संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं है। 5. उक्त योजना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार स्पेशल टाउनशिप की श्रेणी में आती है जिसमें संस्थागत योजना हेतु मापदण्ड निर्धारित नही है। **समिति द्वारा एजेण्डा पर बाद विचार विमर्श निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन** करने का निर्णय लिया गया – 1. उक्त भूमि राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति कि 16वीं बैठक दिनांक 06.04. 2011 की कार्यवाही विवरण अनुसार बहुउदेश्य प्रयोजनार्थ किया गया है। अतः संस्थागत उपयोग अनुज्ञेय है। 2. उक्त योजना में आई.ओ.सी.एल / एच.पी.सी.एल की पाईप लाईन व एच.टी लाईन हेतु सेफटीकोरीडोर के चिन्हिकरण जोन से प्राप्त होने के उपरान्त योजना में आवश्यक सशोधन पश्चात योजना को अन्तिम रूप दिया जावें। 3. जोधपुर मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) रिपोर्ट में उक्त पाली सर्किल का रेडियस 800 फीट रखने का निर्णय लिया गया। 800 फीट उपरान्त सडक मार्गाधिकार व 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावें। 4. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार स्पेशल टाउनशिप श्रेणी में औद्योगिक टाउनशिप के मापदण्ड निर्धारित है। अतः समिति द्वारा उपरोक्त औद्योगिक टाउनशिप अनुसार ही संस्थागत टाउनशिप हेतु मापदण्ड निर्धारित करते हुये मानचित्र में आवश्यक सशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा टाउनशिप पालिसी 2010 के प्रावधान संख्या 6.04 पृष्ठ संख्या 8 के अर्न्तगत राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(महेन्द्र सिंह राठौड)
अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(अरूण पुरोहित)
सचिव / आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री सुखराम
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री श्रवण कुमार
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्रीमती चंचल वर्मा
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री अनिल पुनिया
उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

श्री राकेश शर्मा
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(पी.आर. बेनिवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 04/2018 वीं बैठक दिनांक 08.06.2018 को प्रातः 10.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री महेन्द्र सिंह राठौड, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य/ संयोजक
3.	श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी) , जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती चंचल वर्मा उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री अनिल पुनिया उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
7.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
8.	श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

08/06

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)

क्रमांक :– 4248–4254

दिनांक:– 08.06.2018

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

08/06

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)